रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 12, 2016/माघ 23, 1937
No. 97] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 12, 2016/ MAGHA 23, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी, 2016

सं. 4/2016- केंन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

सा.का. नि. 162(अ).—चूंकि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि एक ऐसी परम्परा के अनुसार जोकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 3 के अंतर्गत उत्पाद शुल्क को लगाए जाने (जिसमें इसके न लगाए जाने की भी बात शामिल है) के बारे में सामान्तया प्रचलित थी कि डाई कैल्शियम फॉस्फेट (पशु आहार श्रेणी के) जोकि रॉक फॉस्फेट मूल की है और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 2835 के अंतर्गत आता है (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त वस्तु से संदर्भित किया गया है) पर उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत 1 फरवरी, 2008 से लेकर 1 फरवरी, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जा रहा था;

2. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 11ग के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा निर्देश देती है कि उक्त वस्तु पर उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जो उत्पाद शुल्क देय है लेकिन उसे उक्त परम्परा के कारण नहीं वसूला गया है को उक्त माल के संबंध में, जिस पर कि उक्त प्रथा के अनुसार उक्त अवधि के अंतर्गत उक्त उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, का भुगतान किए जाने की जरूरत नहीं है।

[फा.सं. 104/2/2013-सीएक्स-3]

शंकर प्रसाद शर्मा,अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2016

No. 4/2016- Central Excise (N.T.)

G.S.R. 162(E).—Whereas the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty of excise (including non-levy thereof) under section 3 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), (hereinafter referred to as the said Act), on Di-Calcium Phosphate (animal feed grade) of rock phosphate origin falling under heading 2835 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) (hereinafter referred to as the said goods), was not being levied according to the said practice, during the period commencing on the 1st day of February, 2008 and ending with the 1st day of February, 2014;

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11C of the said Act, the Central Government hereby direct that the whole of the duty of excise payable under section 3 of the said Act on the said goods but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of the said goods on which the said duty of excise was not levied during the period aforesaid in accordance with the said practice.

[F.No.104/2/2013-CX.-3]

SHANKAR PRASAD SARMA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.